काय्यलय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(मध्यप्रदेश भवन, प्लांट नं. 35 ए, ओरेसा हिल्स, भोपाल-462011)

// आदेश //
भोपाल, दिनांक 02 दिसंबर, 2016

क्रमांक 29 / स्था.सं/2016 उप पंजीयक के पद हेतु राज्य सेवा परीक्षा - 2012 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी चयन सूची अनुसार नियुक्तिसूची अन्याधिकृतों की नियुक्ति उप पंजीयक के पद पर वेतन बैंड-1 में वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800/- में दो वर्ष की परीक्षा पर की जाकर कालम नंबर-4 में दर्शाये स्थान पर पदस्थापन किया जाता है। नव नियुक्त उप पंजीयकों द्वारा कालम नंबर-5 में दर्शाये गये स्थान पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा। नव नियुक्त उप पंजीयकों की आपसी विरूद्धता लोक सेवा आयोग से प्राप्त चयन सूची अनुसार होगी।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रं</th>
<th>उम्मीदवार का नाम</th>
<th>जाति</th>
<th>पदस्थापना स्थान उप पंजीयक कार्यालय</th>
<th>प्रशिक्षण हेतु नियत जिला</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>सुश्री कृति दीक्षित</td>
<td>अनारक्षित</td>
<td>इस्थानांक, जिला चोहार</td>
<td>भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>श्री सदीप सिंह परेहार</td>
<td>अनारक्षित</td>
<td>शुमाराराजगढ़, जिला अनुपुपुर</td>
<td>जबलपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>श्री आशीष दीक्षित</td>
<td>अनारक्षित</td>
<td>कोतमा, जिला अनुपुपुर</td>
<td>जबलपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>श्री पदमकर तेलंग</td>
<td>अनारक्षित</td>
<td>मनसाला, जिला नीमच</td>
<td>इंदौर</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>श्री जयसिंह सिकरबाग</td>
<td>अनारक्षित</td>
<td>रामपुरगंजकिन, जिला सीठी</td>
<td>जबलपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>श्री प्रसन्न कुमार गुप्ता</td>
<td>अनारक्षित</td>
<td>रामपुरबेघान, जिला सतना</td>
<td>जबलपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>श्री कमल कुमार पाटक</td>
<td>अनारक्षित</td>
<td>केंद्रारी, जिला सिवनी</td>
<td>जबलपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>श्री राजेंद्र अली खान</td>
<td>अ.पि.व</td>
<td>गंगापुर, जिला सतना</td>
<td>भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>सुश्री प्रजा शर्मा</td>
<td>अनारक्षित</td>
<td>दोराहा, जिला चोहार</td>
<td>भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>सुश्री सुजना बरेरिया</td>
<td>अ.जा. ज</td>
<td>कुकुरी, जिला धार</td>
<td>रवालपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>श्री रामदयानसाद अहिरचार</td>
<td>अ.जा. ज</td>
<td>लौंडी, जिला छतरपुर</td>
<td>जबलपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>श्री जितेंद्र कुमार हसनानी</td>
<td>अ.जा. ज</td>
<td>उदयपुरा, जिला रायसेन</td>
<td>भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>श्री आशुतोष दिनकर</td>
<td>अ.जा. ज</td>
<td>सिलवानी, जिला रायसेन</td>
<td>भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>सुश्री सचिना पार्थिक</td>
<td>अ.जा. ज</td>
<td>अजयगढ़, जिला पन्ना</td>
<td>जबलपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>श्री आशीष श्रीवास्तव</td>
<td>अनारक्षित</td>
<td>तेंदुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर</td>
<td>जबलपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>सुश्री अनुराधा राठौर</td>
<td>अ.ज.ज.ज</td>
<td>मेघनगर, जिला झाबुआ</td>
<td>इंदौर</td>
</tr>
</tbody>
</table>

क्रमांक: ........2
2- उपरोक्त नया नियुक्त उप पंजीयकों को पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये निर्धारित स्तर से विभागीय परीक्षा प्रचालित नियमानुसार दो वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी सेवायें विभागीय परीक्षा नियम के तहत बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

3- यह नियुक्ति आदेश मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपूर्ण क्रमांक एफ--सी. 3-15/2012/1/3 दिनांक 24.11.2012 में दिये निर्देशों के परिश्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अवैध पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4- उपर केन्द्र नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 21537/2015 में माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्धार के अध्यक्ष होगी।

5- नवनियुक्त उप पंजीयकों को आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिये जिला पंजीयक को रिपोर्ट करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

6- अपने तद पर उपस्थिति देने के लिये नया नियुक्त उप पंजीयक को किसी भी प्रकार का याचना भला देय नहीं होगा।

(शिव शेखर युकला)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्य प्रदेश

पू.क्रमांक 449/स्था.सेवा/2016
भोपाल, दिनांक 02/12/2016

प्रतिलिपिका:-

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय-भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ-7(बी)-34/2011/2/पांच, दिनांक 02.09.2016 के संबंध में सूचनार्थ।

2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंडोर की ओर उनके पत्र क्रमांक 70/50/2016/चयन, दिनांक 12.08.2016 के संबंध में सूचनार्थ।

3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, व्यालियर की ओर सूचनार्थ।

4. कलेक्टर जिला ______________________ की ओर सूचनार्थ।

5. उपमहानिरीक्षक पंजीयन ______________________ की ओर सूचनार्थ।

6. वरिष्ठ जिला पंजीयक/ जिला पंजीयक ______________________ मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर लिखा जाता है कि नव नियुक्त उप पंजीयक से नीचे लिखे अनुसार कार्यवाही पूर्ण करा ली जाए। साथ ही संबंधित का उपस्थिति सूचना तत्काल भेजी जायें।

(1) नव नियुक्त उप पंजीयक के अर्थात सबसे मूल दस्तावेज देखकर प्रमाणित प्रतियों रिकार्ड में रखी जाए और मूल दस्तावेज जिसने देखे हैं वह अपना प्रमाणपत्र भी रिकार्ड में रखेंगे।
(2) अचल सम्पत्ति का विवरण (स्वयं और रिश्तेदारों के संबंध में) निर्धारित प्रपत्र में भरा जाकर इस कार्यालय को भेजकर एक प्रति सेवा पुस्तिका में चर्चा की जायें।

(3) निर्धारित फार्म पर शपथ ग्रहण कराई जाकर सेवा पुस्तिका में चर्चा की जायें।

(4) मेडिकल फिटनेस का प्रमाण-पत्र जो जिले के मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित हो, प्राप्त किया जावे, उसके बाद ही उम्मीददार को कार्यभार ग्रहण कराया जायें।

(5) नवनियुक्त आरक्षित वर्ग के उप पंजीयक से उसका जालि प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायें जो शासन द्वारा निर्धारित स्थाई प्रमाण-पत्र हो या स्वच्छ अधिकारी द्वारा 2 वर्ष के भीतर जारी किया गया प्रमाण पत्र हो। मूल प्रमाण-पत्र के परीक्षण पश्चात उसकी सत्यापित प्रर्त संबंधित के सेवा अभिलेख में रखी जाए। इसके बाद ही नव नियुक्त उप पंजीयक का उपस्थिति प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएं।

(6) पंजीयन मैन्युअल की कडिका-27 में वर्णित निर्देशों के पालन में नवनियुक्त उप पंजीयक से परिशिष्ट “घ” के प्ररूप-3 में वंचन प्राप्त नियुक्ति कराया जाकर अपेक्षित प्रतिभूति धन जमा कराया जायें।

नव नियुक्त उप पंजीयक को नियमानुसार विहित प्रशिक्षण दिया जायें।

7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला— ........................................ म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
8. जिला पंजन अधिकारी जिला .................................................. म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
9. बजट शाखा/गोपनीय शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. श्री/सुश्री................................................................. की ओर पालनार्थ।

महानिरीक्षक पंजीयन

न्यायप्रदेश

21/12/16